प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ 8 अप्रेल, 2015 को मान. प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। यह योजना सुक्ष्म तथा लघु उद्यमों/उद्यमियों को सस्ते दर पर ऋण सेवा प्रदान करने हेतु प्रारंभ की गई है। वर्तमान में बैंकों द्वारा सुक्ष्म तथा लघु उद्यमों/उद्यमियों को 12.50 प्रतिशत से 14.00 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिये जाते हैं, इस योजना के अंतर्गत 9.5 प्रतिशत से 10.5 प्रतिशत तक ब्याज दर पर ऋण प्रदान किये जायेंगे। इसके अंतर्गत बैंकों द्वारा तीन प्रकार के ऋण दिये जा सकते हैं।

1. शिशु – रुपये 50 हजार तक के ऋण
2. किशोर – रुपये 50 हजार से अधिक तथा 5 लाख तक के ऋण
3. तरूण – रुपये 5 लाख से अधिक तथा 10 लाख तक के ऋण

इस संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर माईक्रो युनिट डेव्हलपमेंट एण्ड रिफाइनेन्स एजेन्सी (MUDRA) की स्थापना की गई है, जो इन ऋणों का रिफाईनेन्स बैंकों को 6.75 प्रतिशत ब्याज दर पर प्रदान करेगी। इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय द्वारा समस्त बैंकों को यह निर्देश दिये गये हैं कि जो ऋण 50 लाख से कम कृषितर क्षेत्र की आय अर्जक गतिविधियों के लिए दिए गए हो उन्हे भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वर्गीकृत करें तथा प्रधानमंत्री जन–धन योजना में दिये जाने वाले प्रत्येक खाताधारी को 5 हजार का ओवर ड्राफ्ट भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शामिल किया होगा।